कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(सीपीसी) की बैठक सं० 35/2000 दिनांक 23-3-2000 को सायं 4·00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण :-

---

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया -

1- श्री के·पी· सिंघल, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।

2- श्री पी·आर· शर्मा, निदेशक (वित्त) जविप्रा, जयपुर ।

3- श्री जी·पी· पाण्डे, निदेशक (विधि) जविप्रा, जयपुर ।

4- श्री एस·एल· माथुर, निदेशक (अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर ।

5- श्री ए·एन· भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(सीपी) जविप्रा, जयपुर ।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे :-

1- श्री सुरेश चन्द गुप्ता, उपायुक्त, बी-1, जविप्रा, जयपुर ।

2- श्री प्रेमशंकर, उप नगर नियोजक(सीपी) जविप्रा, जयपुर ।

3- श्री तेजसिंह राठौड़, सहायक नगर नियोजक, बी-1, जविप्रा, जयपुर ।

---

(1) बीपीसी-11(सीपीसी) की बैठक सं० 31/2000 दिनांक 10-3-2000 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु :-

समिति द्वारा पुष्टि की गयी ।

(2) बीपीसी-11(सीपीसी) की बैठक सं० 34/2000 दिनांक 15-3-2000 का कार्यवाही विवरण समिति के पुष्टिकरण हेतु :-

समिति द्वारा पुष्टि की गयी ।

(3) विभिन्न उपायुक्त जोन द्वारा प्रस्तुत प्रकरणों पर विचार-विमर्श कर निम्न निर्णय लिये गये :-

3·1- एजेण्डा सं० 35/2000-1 :- शिल्पाचार्य गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना नम्बर-3, मानसरोवर (जोन बी-3) :-

उपायुक्त, जोन बी-3 द्वारा कराये गये मौके के सर्वे, सैक्टर प्लान की स्थिति और इस योजना की अन्य आन्तरिक सड़कों की स्थिति को देखते हुए भूखण्ड सं० 149 से 159 और 160 से 166 और फैसिलिटी एरिया के बीच की रोड़ की चौड़ाई 40 फिट के बजाय 30 फिट करने

का निर्णय लिया गया ।

3·2- एजेण्डा सं0 35/2000-2 :- अपोलो हाउसिंग गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना मंगल विहार { जोन बी-1 } :-

उपायुक्त, बी-1 द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार कर योजना के पूर्व अनुमोदित नक्शे में अनुमोदित भूखण्डों के नाप को मौके के अनुसार परिवर्तित करते हुए और सड़क, सुविधा क्षेत्र, सैट बैक पैरामीटर्स, ले आउट, योजना का कुल क्षेत्रफल को पूर्व अनुमोदित मानचित्र के अनुसार यथावत रखते हुए समिति द्वारा प्रस्तुत नये नक्शे को अनुमोदित करने का निर्णय लिया गया । नये नक्शे में भूखण्ड सं0 79 बी को अनुमोदित नहीं किया जाये { बिल्ट अप एरिया नहीं मिलने के कारण } ।

3·3- एजेण्डा सं0 35/2000-3 :- श्री छत्रपति शिवाजी गृह निर्माण सहकारी समिति की योजना श्रीराम नगर {जोन बी-3} :-

बैठक सं0 33/2000 दिनांक 14-3-2000 के निर्णय सं0 33/2000-4 के अनुसरण में वरिष्ठ नगर नियोजक{सीपी} द्वारा मौके की स्थिति से अवगत कराया गया । बाद विचार-विमर्श निम्न निर्णय लिये गये :-

1- योजना के अनुमोदित मानचित्र में भूखण्ड सं0 76 और 77 के मध्य से दर्शायी गयी सड़क को विलोपित कर उसके स्थान पर भूखण्ड सं0 77 सृजित किया जाये जिसकी चौड़ाई 43 फिट रखी जाये ।

2- अनुमोदित मानचित्र में दर्शाये भूखण्ड सं0 77, 78 और 79 के स्थान पर निम्न प्रकार 3 भूखण्ड सृजित किये जाये :-

अ- भूखण्ड सं0 77 से लगता हुआ भूखण्ड 77 ए जिसकी चौड़ाई 32 फिट रहेगी ।

ब- भूखण्ड सं0 77 ए से लगता हुआ भूखण्ड सं0 78 जिसकी चौड़ाई 29'-6" रहेगी ।

स- भूखण्ड सं0 80 से लगता हुआ भूखण्ड सं0 79 जिसकी चौड़ाई 25 फिट रहेगी ।

3- नव सृजित भूखण्ड सं0 78 और 79 के बीच 30 फिट चौड़ी सड़क रखी जायेगी ।

उपरोक्तानुसार अनुमोदित प्लान में संशोधनानुसार संबंधित भूखण्ड के पट्टे जारी किये जाये ।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई ।

सदस्य सचिव
भवन मानचित्र समिति-द्वितीय(सीपीसी)
जविप्रा, जयपुर ।

क्रमांक: एफ-14(।।)जविप्रा/वननि/सीपी/147
दिनांक : 27-3-2000

प्रतिलिपि:-

1- वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर ।
2- निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर ।
3- निदेशक(आयोजना)/(वित्त)/(विधि)/(अभियांत्रिकी) जविप्रा, जयपुर।
4- अति० आयुक्त(भूमि एवं योजनाएं) जविप्रा, जयपुर ।
5- वरिष्ठ नगर नियोजक(एम॰पी॰) जविप्रा, जयपुर ।
6- उपायुक्त/ प्राधिकृत अधिकारी/ सहायक नगर नियोजक, जोन बी-1, बी-2, एवं बी-3, जविप्रा, जयपुर ।
7- जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर ।

सदस्य सचिव
बीपीसी-।। (सीपीसी)